



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269805
CG-DL-E-03022026-269805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 456]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 485(अ).— जबकि मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 1097, सेक्टर ए, पॉकेट ए, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “बीजापुर आरईजेड के कर्नाटक में एकीकरण के लिए पारेषण योजना” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.25-17/76/2024-PG दिनांकित 12.08.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “बीजापुर आरईजेड के कर्नाटक में एकीकरण के लिए पारेषण योजना” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 25.04.2025, दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिन्दी में) दिनांक 25.04.2025 और विजयावाणी (कन्नड़ में) दिनांक 25.04.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 17.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।

इसके पश्चात, मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड, ने 10.12.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर दो टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, इसका उत्तर मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है और आगे कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना “बीजापुर आरईजेड के कर्नाटक में एकीकरण के लिए पारेषण योजना” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. बीजापुर पीएस - रायचूर नया 400 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँवों के नाम	तहसील / तालुका	जिला	राज्य
जलावाड़, कोरवार, केरुतगी, तिलगुला, कुदरगुंडा, हुनशीहल	देवर हिप्परगी	बीजापुर (विजयपुरा)	कर्नाटक
हंडिगनूर, तिरुपतिनगर	सिंदगी		
कालकेरी, रामापुर, बेकिनाल, वनकीहाल, तुरकनगोडी, बुढीहल	तालिकोटी		
हिरी मदनूर, चिक्का मदनूर, हैंड्राल, दसामाईनगर, रामापुर, शखापुर, टेग्गीहल्ली, कुडलगी, बेचबल, कनाहल्ली	हूनसगी	यादगीर	
मुनीर बोम्मनाहल्ली, यक्तापुर, अलाहल, तालहल्ली, काचापुर, मलाकापुर, ऐनापुर, कचाकनूर, कुरबटनहल्ली, हल अम्मापुर, चिक्कनहल्ली, बोनाल, मंगिहाल, अम्मापुर, वागिनगेरा, तलवारगेरा, मंगिहाल, कावडीमुट्टी, हविनहाल, कागराल, गुडिहाल, शेल्लगी, मुशितहल्ली, बेविनहाल, चंदनापुर, अदवडगी, एम्मडगी, सुगूर	शोरापुर		
बागूर, येरंडी, नलावंजी, कारेगुड्डा, नवालगुड्डा, जम्मलदिन्नी, वेंगलापुर, कोटिगुड्डा, केलगिना इराबगेरी, मनासगल, मियापुर, मसारकल	देवदुर्गा		
टेग्गेहल, चिंतालीकुंटा, काटामल्ली, मुस्तूर, गेज्जेबावी, शखापुर, काकरगल, जिन्नापुर, अलदार्टी, हनुगुंडबडा, गोविंदपल्ली गुड्डा, रामदुर्गा, मलदकल, मसिदापुर	आरकेरा	रायचूर	
हलवेनकटापुर, मुरहरपुर, कलमली, हुंसीहलहुडा, गोंहाल, रामपुर, अस्कीहाल, इक्लासपुर, फतेपुर	रायचूर		

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा

अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/10/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 485(E).— Whereas M/s Bijapur REZ Transmission Limited, having its registered office at Flat No. 1097, Sector A, Pocket A, Vasant Kunj, New Delhi- 110070, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission scheme for integration of Bijapur REZ in Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/76/2024-PG dated 12.08.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “transmission scheme for Integration of Bijapur REZ in Karnataka”.

M/s Bijapur REZ Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The New Indian Express (in English) dated 25.04.2025, Dakshin Bharat Rashtramat (in Hindi) dated 25.04.2025 & Vijayavani (in Kannada) dated 25.04.2025, and in Weekly Gazette of India dated 17.05.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Bijapur REZ Transmission Limited has submitted an affidavit dated 10.12.2025 declaring that two observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Bijapur REZ Transmission Limited and no further observation/representation is received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission scheme for integration of Bijapur REZ in Karnataka” The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Bijapur PS- Raichur New 400 kV D/c line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

Villages	Tehsil/Taluka	District	State
Jalawad, Korawar, Kerutagi, Tilagula, Kudaragunda, Hunashihal	Devar Hippargi	Bijapur (Vijayapura)	Karnataka
Handiganur, Tirupatinagar	Sindgi		
Kalakeri, Ramapur, Bekinal, Vanakihal, Turakanagori, Budihal	Talikoti		
Hiri Madanur, Chikka Madanur, Handral, Dasamainagar, Ramapur, Shakhapur, Tegghihalli, Kudalagi, Bechabal, Kanahalli	Hunasagi	Yadgir	
Munir Bommanahalli, Yaktapur, Alahal, Talhalli, Kachapur, Malakapur, Ainapur, Kachakanur, Kurabatanahalli, Hal Ammapur, Chikkanahalli, Bonal, Mangihal, Ammapur, Waginagera, Talawaragera, Mangihal, Kawadimutti, Havinahal, Kagaral, Gudihal, Shellagi, Mushthihalli, Bewinahal, Chandanapur, Adawadagi, Emadgi, Sugur	Shorapur		
Bagur, Yerandi, Nalawanji, Karegudda, Nawalagudda, Jammaladinni, Wengalapur, Kotigudda, Kelagina Irabageri, Manasagal, Miyapur, Masarkal	Devadurga	Raichur	
Teggehal, Chintalikunta, Katamalli, Mustur, Gejjebavi, Shakapur, Kakargal, Jinnapur, Aldarti, Hunugundabada, Govindapalli Gudda, Ramadurga, Maladkal, Masidapur	Arakera		
Halvenkatapur, Murharpur, Kalmali, Hunsihalhuda, Gonhal, Rampur, Askihal, Ekhaspur, Fatepur	Raichur		

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Bijapur REZ Transmission Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Bijapur REZ Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/10/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)